



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012022-233003
CG-DL-E-31012022-233003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]
No. 386]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2022/माघ 11, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2022/MAGHA 11, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 401(अ).—डी पी सी ओ 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत जारी पांच चिकित्सा उपकरणों, अर्थात् (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, (iii) नेबुलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर, तथा (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) आधार पर अधिकतम मूल्य को नियत करने से संबंधित दिनांक 13 जुलाई 2021 के का. आ. 2808 (अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। ऊपरोक्त के अनुसरण में 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) आधार पर अधिकतम कीमते नियत करने सम्बन्धी अधिसूचना जो 31 जनवरी 2022 तक लागू है, इसे 31 जुलाई 2022 तक बढ़ाया जाता है।

2. दिनांक 13 जुलाई 2021 के का. आ. 2808 (अ) की टिप्पणियाँ (ख) से (ड) तक इस आदेश के जारी रहने के दौरान लागू रहेंगी।

[कां. सं. 227/95/2022/एफ/फा. सं. 8(95)/2022/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 401(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2808(E) dated 13th July, 2021 issued notification under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer at first point of sale of the product through Trade Margin Rationalization Approach. In continuation to the above notification, capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer at first point of sale upto 31st January, 2022 is further extended upto 31st July, 2022.

2. The Notes (b) to (m) of the Notification S.O. 2808 (E) dated 13th July, 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/227/95/2022/F/F. No. 8(95)/2022/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director